कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण,कोरबा
जिला कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक / 276 / श.वि.अ. / 2015 / कोरबा, दिनांक 06 / 07 / 2015

रूचि की अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वर्ष 2015–16 के कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम अंतर्गत शहरी गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने बाबत् शासकीय / अशासकीय संस्थानों जिले के सीएसएसडीए कार्यालय में पंजीकृत व्ही.टी.पी. से दिनांक 25 / 07 / 2015 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के इच्छुक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान / व्ही.टी.पी. नियत तिथि तक अपना आवेदन एवं समस्त जानकारी यथा पंजीयन, कार्यानुभव सहित कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा में कार्यालयीन अवधि में जमा करा सकते है। प्रशिक्षण संस्थानों के चयन बाबत् नियम एवं शर्ते नगर पालिक निगम,कोरबा के वेबसाईट **www.korbamunicipal.in** तथा कार्यालय कलेक्टर कोरबा के वेबसाईट **www.korba.gov.in** पर देखा जा सकता है । नियत तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

सिटी परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / 277 / श.वि.अ. / 2015 / कोरबा, दिनांक 06 / 07 / 2015

प्रतिलिपिः–

(1) जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय कलेक्टर प्रथम तल, कोरबा की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

(2) जनसंपर्क सहायक,नगर पालिक निगम कोरबा की ओर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।

सिटी परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कोरबा (छ.ग.)

Latter.S. 130

नियम एवं शर्ते

1. कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के शहरी गरीब जिनकी आयु–18 से 35 वर्ष के मध्य हो ऐसे हितग्राहियों को प्रदान किया जावेगा।
2. कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम शासकीय व्ही.टी.पी. अथवा सीएसएसडीए में पंजीकृत व्ही.टी.पी. के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना है।
3. समस्त प्रशिक्षण सीएसएसडीए में पंजीकृत 430 घंटे अवधि के एम.ई.एस. कोर्सेस के अंतर्गत व्यवसायों में प्रदान किया जावेगा। जिसके अंतर्गत 30 घंटे साफ्ट स्किल एवं 30 घण्टे स्पोकन इंग्लिश में प्रशिक्षण प्रदान करना होगा । तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना होगा ।
4. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति थंब इम्प्रेशन मशीन के माध्यम से लिया जावेगा । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षाणाथियों की उपस्थिति की जानकारी ई–मेल के माध्यम से जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा को प्रति दिवस प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन समय–समय पर कलेक्टर/अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण एवं आयुक्त/सिटी मिशन प्रबंधक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान/व्ही.टी.पी. द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा ।
6. प्रशिक्षण व्यय का भुगतान तीन या उससे अधिक किश्तों में किया जाना है । प्रथम दो किश्तें प्रशिक्षण के प्रारंभ एवं पूर्ण होने उपरांत तथा अंतिम किश्त 20 प्रतिशत का भुगतान प्लेसमेंट उपरांत किया जावेगा ।
7. प्रशिक्षण उपरांत 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट अनिवार्य होगा । इसके लिये कार्य योजना प्रस्तुत करना होगा ।
8. प्रशिक्षण व्यय के देयक का भुगतान शासन द्वारा देयक भुगतान के संबंध में जारी निर्देशों के पूर्ण होने उपरांत तथा नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती उपरांत की जावेगी ।